संख्या-पी-247/81-2-2022-800(244)/2022

प्रेषक,

आर0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 जुलाई 2022

विषय- जनपद अमरोहा में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड हापुड वन में 0.00 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 06 वृक्षों तथा गैर वभूमि पर स्थित 12 वृक्ष अर्थात कुल 18 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/148929/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-124/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/148929/2021 दिनांक 12.07.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियों का निराकरण कर आख्या/अभिलेख अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ-70 पर रक्षित एफ0आर0ए0 पर जिलाधिकारी की मोहर नहीं है। साथ ही साथ प्रभागीय वनाधिकारी भी हस्ताक्षरित किया गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोर्फामा के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी का हस्ताक्षर नियमानुसार नहीं है।
2. प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि संलग्न अधिसूचना में चिन्हित नहीं है।
3. प्रस्ताव पूर्णतः वन्यजीव विहार क्षेत्र में है। वृक्षों का पातन निहित है। ऐसी स्थिति में वन्यजीव अनापत्ति की आवष्यकता नहीं है ?
4. क्या प्रस्तावित परियोजना वन (संरक्षण) रूल्स-2022 के अनुसार परीक्षण किया गया है ?
5. परियोजना में बाधक निजी वृक्षों के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख संलग्न है ?

भवदीय,
Signed by राम प्रकाश सिंह
Date: 19-07-2022 15:53:32
Reason: Approved
(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।